

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट— ग्राम पंचायत गोलाकाबास  
पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/425/15

अनुवान— रामजीलाल बनाम प्रताप वगैरा निवासी बीना पट्टी तहसील राजगढ।

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

24.05.2018:—आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गोलाकाबास पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में इकतरफा बहस सुनी जाकर आरजी हाल खसरा नं० 461/1.34, 470/0.22, 471/0.05, 472/0.02, 473/0.02, 474/0.23, 475/0.07, 481/0.16, 482/0.23, 483/0.20 है० वाके ग्राम भानगढ के बाबत दिनांक 30.06.2015 को अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 03.08.2015 तक के लिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, तथा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को जर्ज रजिस्टर्ड नोटिस/सम्मन से तलब करने के आदेश जारी किये हुए है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस से तलबी की पालना आज दिनांक तक बार-बार अवसर दिये जाने के बाद भी नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी तामिल की पालना आदेशानुसार नहीं किये जाने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंगन मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट गोलाकाबास तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर  
कैम्प कोर्ट— ग्राम पंचायत गोलाकाबास